

“खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र”
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

2022/243 ✓

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,

शाहपुरा

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम **शाहपुरा** की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या **134, 249** में **प्रार्थी** का नाम **सतु** **सलनारायण** का है जबकि मुताबिक सलन नाम **सलनारायण** ही **सलनारायण** है ।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक:- 17/06/2022

प्रार्थी
सलनारायण

रिपोर्ट-पटवारी एवं भूअ.निरीक्षक

महोदयजो,

निवेदन है कि ग्राम **शाहपुरा** के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या **13, 249** में प्रार्थी का नाम **सतु** दर्ज है। जबकि मुताबिक सलन **दस्तावेज** व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम **सलनारायण** है। जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

सलनारायण
भू0अ0नि0 **सलनारायण**
17/6/22

सलनारायण
पटवारी **सलनारायण**
शाहपुरा

रिपोर्ट तहसीलदार **सलनारायण**

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी **सलनारायण** व भू0अ0नि0 **सलनारायण** एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम **शाहपुरा** की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 की खाता संख्या **134, 249** में प्रार्थी का नाम **सतु** के बजाय **सलनारायण** किये जाने हेतु अभिशंका की जाती है।

सलनारायण
तहसीलदार

भू0अ0नि0 17/06/22

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम **शाहपुरा** जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 खाता संख्या **134, 249** में दर्ज प्रार्थी का नाम **सतु** के स्थान पर **सलनारायण** संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

सलनारायण
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)